# मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

# 121वीं बोर्ड बैठक

## दिनांक 18–07–2022

का

# कार्यवृत्त

**मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 121वीं बैठक दिनांक 18—07—2022 का कार्यवृत्त।**

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 121वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 18—07—2022 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री मृदुल चौधरी, | उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। | उपाध्यक्ष। |
| 2. | श्री दीपक मीणा | जिलाधिकारी, मेरठ। | सदस्य। |
| 3. | श्री प्रमोद कुमार | अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ। | सदस्य। |
| 4. | श्री अतुल कुमार सिंह, | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि—विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग—8, लखनऊ। | सदस्य। |
| 5. | श्री विजय पाल | अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ। | सदस्य। |
| 6. | श्री राजीव कुमार | अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। | सदस्य |
| 7. | श्री मोहित वर्मा | परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियन्त्रण ईकाई, उत्तर प्रदेश, जल निगम—नगरीय, गाजियाबाद। | सदस्य। |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | श्री कृष्ण मोहन | सहयुक्त नियोजक, (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ। | सदस्य |
| 9. | श्री एस0री0गौड़, | चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर, प्रतिनिधि आयुक्त एन0सी0आर0 गाजियाबाद। | सदस्य। |
| 10. | श्री नैन सिंह तोमर, | शासन द्वारा नामित सदस्य, गली नं0 01,मकान नं0 8, नेहरू नगर, गढ़ रोड़, मेरठ। | सदस्य। |
| 11. | श्री चरण सिंह लिसाड़ी, | शासन द्वारा नामित सदस्य, ग्राम व पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ। | सदस्य। |
| 12. | श्री चन्द्रपाल तिवारी, | सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। | संयोजक/सदस्य। |

कोरम पूर्ण है। अतःएव अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये गये।

**119वीं बोर्ड बैठक एवं 120 वीं बोर्ड बैठक क्रमशः दिनांक 20–05–2022 व 09–05–2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि–**

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 20–05–2022 को सम्पन्न 119वीं बोर्ड बैठक तथा 09–05–2022 को सम्पन्न 120वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

119वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20—05—2022 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर पारित निर्णय का अनुपालन—

| मद सं0 | विषय | अनुपालन आख्या | बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश |
|---|---|---|---|
| 3. | दिनांक 24—07—2011 को शताब्दीनगर योजना में सीवर मेनहॉल में तीन व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में पीडित के परिवारजनों को मुआवजे की अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। | माननीय बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में अनुगृह राशि के चैक मृतक आश्रितों को दिनांक 07—07—2022 को दे दिये गये है तथा क्षति—पूर्ति की उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार : मैं0 लक्ष्मी इन्फाकॉन प्रो0 श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री राममेहर सिंह निवासी 450, पूर्वी रिठानी, मेरठ से भू—राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (RC) कार्यालय के पत्रांक 305/अधि0अभि0 /2022 दिनांक 27—06—2022 के द्वारा जिलाधिकारी मेरठ को प्रेषित किया जा चुका है। | मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा प्रश्नगत वसूली प्रमाण पत्र के परश्यू करने के निर्देश दिये गये। |
| 4. | मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में सेवानिवृत्त/ स्थानान्तरित अधिशासी अभियन्ता, सहायक | मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण में अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर विकास प्राधिकरणों से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को सुसंगत | अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त बोर्ड द्वारा शासन में समन्वय किये जाने के निर्देश दिये गये। |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | | |
|---|---|---|---|
| | अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर प्राधिकरण से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में। | शासनादेशों के अनुसार देय मानदेय पर जनहित व कार्यहित में नियुक्त करने के लिये पत्र सं0 313/एक–अधि0/ 2022 दिनांक 01–07–2022 प्रेषित किया जा चुका है। | |
| 5. | गंगा नगर आवासीय योजना के पाकेट–'यू' एवं 'एक्स' में पूर्व में आवंटित अनुपलब्ध/मिसिंग भूखण्डों के आवंटन को लाटरी पद्धति से पॉकेट यू में सम श्रेणी के समान आकार के रिक्त भूखण्डों में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। | प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 27–11–2021 को लाटरी पद्धति से पूर्व में आवंटित मिसिंग भूखण्डों के समायोजन/परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में, पारित निर्णय के अनुपालन में हितबद्ध आवंटियों को पूर्व आवंटित मिसिंग भूखण्ड के आवंटन के परिवर्तन/ समायोजन की सूचना प्रेषित की जा चुकी है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |
| 6 | गंगानगर आवासीय योजना में अविकसित भूमि के बदले विकसित भूखण्डों में समायोजित किये जाने के | प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में गंगानगर योजना के पॉकेट यू में पूर्व आवंटित उच्च आय वर्ग श्रेणी के अविकसित 08 भूखण्डों के | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सम्बन्ध में प्रस्ताव। | आवंटन को, गंगानगर योजना के पॉकेट यू में लाटरी ड्रा दिनांक 19–05–2022 के द्वारा, रिक्त भूखण्डों परिवर्तित/समायोजित कर दिया गया है। | |
| 7 | रेलवे रोड को बागपत रोड से मिलाये जाने हेतु जैन नगर स्थित रक्षा विभाग की भूमि पर लाईसैन्स के आधार पर 12.00 मीटर चौड़ाई में सड़क बनाये जाने का कार्य। | रेलवे रोड को बागपत रोड से मिलाने हेतु जैन नगर स्थित रक्षा विभाग की भूमि पर लाईसैन्स के आधार पर 12.00 मीटर चौडाई में सड़क बनाये जाने हेतु शासन एवं रक्षा विभाग से पत्राचार/विवरण रक्षा विभाग की साईट पर अपलोड किया जा चुका है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |
| **119वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20–04–2022 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर पारित निर्णय का अनुपालन–** | | | |
| 1. | श्री डालचन्द शर्मा, चौकीदार (निलम्बित) द्वारा प्राधिकरण की गंगानगर एवं रक्षापुरम योजनाओं के आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क की धनराशि प्राप्त कर प्राधिकरण के बैंक खाते में जमा | मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि–<br>1. कार्यालय आदेश पंत्राक 163/एक–अधि0/2022 दिनांक 20.4.2022 द्वारा श्री डालचन्द शर्मा, चौकीदार (निलम्बित) को सेवा से पदच्युत किया | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | | |
|---|---|---|---|
| | न कराकर बैंक की तथाकथित फर्जी रसीदें दिये जाने के सम्बन्ध में। | जा चुका है।<br><br>2. कार्यालय पत्रांक 3257–।।/ एक–अधि0/2022 दिनांक 7.5.22 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित 52 आवंटियों की सूची संलग्न करते हुए देय अनुरक्षण शुल्क की धनराशि रू0 8,74,415.00 एवं उस पर देय ब्याज का समायोजन कर अनुरक्षण शुल्क के संशोधित बिल निर्गत किये जाने तथा उक्त धनराशि की मय ब्याज, श्री डालचन्द शर्मा, पदच्युत चौकीदार से भू–राजस्व की भॉति वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। | |
| **2.** | मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहियानगर एवं शताब्दीनगर योजना की सेक्टर दरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव। | मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। | अनुपालन आख्या अवलोकित। |
| **3.** | ग्राम बटजेवरा सरधना रोड, तहसील सरधना, जिला मेरठ | मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में प्रश्नगत फिलिंग स्टेशन का | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | | |
|---|---|---|---|
| | क्षेत्रफल 2640.00 वर्ग मी0 पर पेट्रोल पम्प/ फिलिंग स्टेशन के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में। | मानचित्र यू0पी0ओ0बी0पी0ए0एस0 पोर्टल पर स्वीकृति की प्रक्रिया में है। | |
| **120वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09–05–2022 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर पर पारित निर्णय का अनुपालन–** | | | |
| 1. | अमृत महायोजना के अन्तर्गत मेरठ नगर की जी0आई0एस0 आधारित महायोजना–2031 के सम्बन्ध में। | मा0 बोर्ड द्वारा अमृत महायोजना के अन्तर्गत मेरठ नगर की जी0आई0एस0 आधारित महायोजना–2031 के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में मेरठ महायोजना 2031 (प्रारूप) पर यथावश्यक संशोधन कर पुनः बोर्ड बैठक दिनांक 09.05.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसे मा0 बोर्ड द्वारा कतिपय सुझाव तथा निर्देशों को समावेशित कर मेरठ महायोजना 2031 (प्रारूप) पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जनता से आपत्तियां एवं सुझाव | अनुपालन आख्या अवलोकित। |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | आमंत्रित किये जाए। उक्त के क्रम में दिनांक 01.06.2022 से 30.06.2022 तक आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये, जिसकी अवधि दिनांक 15.07.2022 तक बढ़ायी गयी है। वर्तमान तक लगभग 350 आपत्ति/ सुझाव प्राप्त हो चुके है। दिनांक 15.07.2022 तक प्राप्त आपत्तियों/सुझाव को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा। उपरोक्त निस्तारण के क्रम में मेरठ महायोजना 2031 का संशोधित (प्रारूप) मा0 बोर्ड के समक्ष पुनः शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। | |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

## 121वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–07–2022 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

| मद सं0 | विषय | निर्णय |
|---|---|---|
| 1. | मेरठ नगर में संचालित पशु डेयरियों को नगर से बाहर कैटिल कालोनी विकसित कर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में। | ग्राम नंगलापातू की 22770 वर्ग मीटर भूमि पर कैटिल कालोनी विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मा0 बोर्ड द्वारा गहन चर्चा की गयी जिस पर विचार विमर्श उपरान्त ले–आउट निम्नानुसार संशोधित किये जाने के निर्देश दिये गये:–<br>1. ले–आउट प्लान में दर्शित वेदिंग/ड्रिकिंग फॉर एनिमल एरिया को ऑपन ग्रेजिंग लैण्ड के रूप में नियोजित किया जाय।<br>2. योजना में प्रस्तावित वैटेनरी हास्पिटल तथा मिल्क कलेक्शन सेन्टर परस्पर परिवर्तित कर लिया जाये जिससे मिल्क कलेक्शन सेन्टर योजना के मुख्य मार्ग पर स्थापित हो सके।<br>3. प्रस्तावित गोबर गैस प्लान्ट का पुनर्नियोजन करा लिया जाय।<br>4. योजना में प्रस्तावित वेटेनरी हास्पिटल, आफिस, मिल्क कलेक्शन सेन्टर तथा भूसा स्टोर की वास्तविक निर्माण लागत भी योजना व्यय में शामिल कर लिया जाय।<br>5. यदि उपरोक्त संशोधन उपरान्त भूमि उपलब्ध होती है तो अतिरिक्त भूमि पर ओर भूखण्ड नियोजित किये जाये।<br>उपरोक्त संशोधन कैटिल कालोनी के ले–आउट में करते हुए कैटिल कालोनी |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | |
|---|---|---|
| | | विकसित किये जाने हेतु आवेदकों से रूपये 10,000/— जमा कराते हुए डिमाण्ड सर्वे कराया जाय तथा डिमाण्ड सर्वे से प्राप्त आवेदकों का सत्यापन नगर निगम, मेरठ द्वारा किये जाने के उपरान्त समस्त भूखण्डों की माँग प्राप्त होने तथा भूमि जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर कैटिल कालोनी विकसित की जाये। |
| 2. | शताब्दीनगर योजना, सेक्टर—2 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी—12, क्षेत्रफल 2269.37 वर्ग मीटर भूमि रैपिड स्टेशन के निर्माणार्थ एवं सेक्टर—4सी में स्थित 4000.00 वर्ग मीटर व्यवसायिक भूमि सब स्टेशन के निर्माणार्थ आर0आर0टी0एस0 द्वारा दिल्ली—गाजियाबाद—मेरठ कोरिडोर के क्रियान्वित किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को आवंटन के सम्बन्ध में। | प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—2, लखनऊ के पत्र सं0 4/2021/103 एन0सी0आर0/आठ—2—21—2एनसीआर/2020 दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के अन्तर्गत के बिन्दु सं0 2(2) के अन्तर्गत—*''सरकारी एजेंसियों/निगम/प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमियां जो परियोजना के लिये चिन्हित की गयी है, को 1/— वार्षिक दर से 99 वर्ष के पट्टे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों/निगम/प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।''* निदेश दिये गये है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सेक्टर 2 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 सी—12, क्षेत्रफल 2269.37 वर्ग मीटर रेपिड रेल के स्टेशन हेतु तथा सेक्टर 4सी में स्थित 4000 वर्ग मीटर व्यवसायिक भूमि विद्युत सब स्टेशन के लिये चिन्हित की गयी है। कैबिनेट का निर्णय मेरठ विकास प्राधिकरण की उपरोक्त दोनों व्यवसायिक भूखण्डों को देने के सम्बन्ध में है।<br><br>बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। बोर्ड द्वारा शासन के उपरोक्त निर्णय का अवलोकन किया गया। |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | |
|---|---|---|
| 3. | मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाऐं जिनकी अवस्थापना सेवायें नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हुई है, उन कालोनियों के आवंटियों से लिया जा रहा अनुरक्षण शुल्क 2 वर्ष की अवधि हेतु फ्रीज़ कराये जाने के सम्बन्ध में | मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहियानगर एवं शताब्दीनगर योजना को छोडकर शेष सभी योजनायें नगर निगम को हस्तगत है किन्तु नगर निगम को सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के हस्तगत न होने के कारण प्राधिकरण की कालोनियों में निर्मित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का रख-रखाव मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के रख-रखाव पर आ रहे व्यय के दृष्टिगत प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बिल निर्धारित कर निर्गत किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण के कालोनीवासियों के आपत्ति पत्रों के दृष्टिगत अन्य प्राधिकरणों से सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के रख-रखाव के सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्थिति ज्ञात की गयी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं में 'कोस्ट इनफलेशन इन्डेक्स' के आधार पर वृद्धि करते हुए अनुरक्षण शुल्क वसूल किया जा रहा है जो मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जा रहे अनुरक्षण शुल्क से कम है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर चार्जेज में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि को निरस्त करते हुए वर्तमान दर को ही 02 वर्ष की अवधि हेतु फ्रीज़ किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया है।<br><br>मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त अनुरक्षण बिल में प्रतिवर्ष की जा रही 10 प्रतिशत की वृद्धि को निरस्त करते हुए 'कोस्ट इनफलेशन इन्डेक्स' (Cost Inflation Index) के आधार पर अनुरक्षण के बिल जारी करने के निर्देश दिये गये। |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | |
|---|---|---|
| 4. | मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रति विभिन्न न्यायालय द्वारा चल रहे वादों में अधिवक्ताओं की फीस पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में। | वर्ष 2013 से मा0 उच्चतम् न्यायालय में अधिवक्ताओं की फीस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान निर्धारित फीस पर अधिवक्ताओं द्वारा कार्य किये जाने की असहमति व्यक्त करने के कारण माननीय उच्चतम् न्यायालय में चल रहे वादों की पैरवी में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत माननीय उच्चतम् न्यायालय में चल रहें वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं की फीस वृद्धि का प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत हुआ:– |

| क्र0 सं0 | विवरण | बोर्ड द्वारा स्वीकृत फीस। | प्रस्तावित फीस दर |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Drafting of S.L.P. with 10% clerkage | Rs. 11,000/- | Rs. 25,000/- |
| 2. | Drafting of Misc. Petition with 10% clerkage | Rs.11,000/- | Rs. 25,000/- |
| 3. | Preparation of Counter Affidavit \R.A. in S.L.P.or Writ Petition any other Misc. Application of Misc. Petition with 10% clerkage | Rs.11,000/- | Rs. 25,000/- |
| 4. | Preparation of any Affidavit with 10% clerkage | Rs. 5,500/- | Rs.11,000/- |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. | Per Appearance per case (in case more than one case-half of these fees in all other cases) with 10% clerkage | Rs. 5,500/- | Rs. 11,000/- |
| | | 6. | To assist the Senior Advocate and Preparation arranging and attending conference with the Senior Advocate with 10% clerkage | Rs. 3,300/- | Rs.11,000/- |
| | | 7. | Lodgement of caveat with 10% clerkage | Rs. 5,500/- | Rs. 11,000/- |
| | | 8. | Opinion | Rs. 2,000/- | Rs. 15,000/- |
| | | 9. | Senior Advocate | As per received bill (payment in advance) | |
| | | मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव की तालिका के क्रमाँक 1–3 के कॉलम 04 में प्रस्तावित की गयी फीस रूपये 25,000/– के स्थान पर रूपये 20,000/– किये जाने तथा क्रमाँक 6 पर उल्लिखित फीस रूपये 11,000/– तक भुगतान किये जाने के संशोधन तथा शेष प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया। | | | |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| 121वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18—07—2022 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव पर निर्णय— | | |
|---|---|---|
| 1. | शहीद स्मारक पर दिनांक 11—08—2022 से 17—08—2022 तक की अवधि हेत तिरंगे की आकर्षक लाईटिंग एवं विद्यमान साईनेज़ का नवीनीकरण आदि का सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में। | अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 11 जुलाई, 2022 को **"आजादी का अमृत महोत्सव"** के अन्तर्गत **"स्वतन्त्रता सप्ताह"** तथा **"हर घर तिरंगा"** के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के सम्बन्ध में पत्र सं0 963 / ए.सी.एस. / सी.एम. / 2022 दिनांक 12 जुलाई, 2022 व प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1, लखनऊ द्वारा उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को पत्र सं0 833 / आठ—1—396 / 2021 दिनांक 14—07—2022 जारी किया गया है। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में शहीद स्मारक, मेरठ पर दिनांक 11—08—2022 से 17—08—2022 तक की अवधि हेतु तिरंगे की आकर्षक लाईटिंग एवं विद्यमान साईनेज़ का नवीनीकरण आदि का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना है। प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा गहन चर्चा उपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि मेरठ के शहीदों का देश की आजादी की लडाई में विशेष योगदान रहा है इनकी यादगार के रूप में शहीद स्मारक ही एक मात्र स्थल है। यहाँ पर मा0 प्रधानमंत्री, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं अन्य |

सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष,

| | | |
|---|---|---|
| | | विशिष्ट व्यक्तियों का भ्रमण एवं स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस व शहीद दिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होता रहता है। अतः उक्त अवसर पर लाईटिंग, साईनेज, साज–सज्जा एवं सामान्य रख–रखाव आदि के कार्य, प्राधिकरण द्वारा बजट के मद सं0 3.18 ''अन्य व्यय'' से कराये जाने के निर्देश दिये गये। |

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(चन्द्र पाल तिवारी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(मृदुल चौधरी) 20/07/2022
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(सुरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।